

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 404]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 अगस्त 2011— भाद्र 5, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. एफ (ए) 3-31-2009-1-पांच, (61).—मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-195-2005-1-पांच(20), दिनांक 31 मार्च, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 6 और 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“6.	काजलवानी, तहसील सौंसर, जिला छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर-छिंदवाड़ा-नागपुर मार्ग पर.	नरसिंहपुर-छिंदवाड़ा-नागपुर मार्ग (हाईवे नंबर 26-बी) पर छिंदवाड़ा से (नागपुर की ओर) 49-50 कि.मी. के मध्य.
10.	भीमडोंगरी, तहसील बिछिया, जिला मण्डला, जबलपुर-मण्डला-रायपुर मार्ग पर.	जबलपुर-मण्डला-रायपुर मार्ग पर जबलपुर से (रायपुर की ओर) 182-183 कि.मी. के मध्य”.

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 2011 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. एफ-ए-3-31-2009-1-पांच, (61).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-31-2009-1-पांच, (61), दिनांक 27 अगस्त, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th August 2011

F-A-3-31-2009-1-V(61).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. F. A-3-195-2005-1-V-(20), dated 31st March, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial numbers 6 and 10 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

“6.	Kajalwani, Tehsil Saunsar, District Chhindwara, on Narsinghpur-Chhindwara- Nagpur Road.	Between 49-50 K.M. from chhindwara (towards Nagpur) on Narsinghpur-Chhindwara- Nagpur Road (Highway No. 26-B).
10.	Bheemdongri, Tehsil Bichhiya, District Mandla, on Jabalpur-Mandla-Raipur Road.	Between 182-183 K.M. from Jabalpur (towards Raipur) on Jabalpur-Mandla-Raipur Road”.

This notification shall come into force from 1st September, 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.